



## न्यायालय

### उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

प्रार्थना संख्या :-03/60/2023

आनलाईन नम्बर-2023/338

प्रवेश तिथि-07.07.2023

1. गैदी देवी पत्नी श्री मूल चन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ताला तहसील टहला जिला अलवर।

बनाम

.....प्रार्थी

1. तहसीलदार महोदय टहला तहसील टहला जिला अलवर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:- श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0-प्रार्थी

:-निर्णय:-

दिनांक 30/01/2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 156 खसरा संख्या 2015/0.32 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराये जाने बाबत तहसीलदार टहला के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार टहला द्वारा संबंधित पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.06.2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशान देही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाईश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12.06.2023 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी तहसीलदार टहला पैमाईश दिनांक 12.06.2026 के अनुसार जारी करने निवेदन किया।

2. प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक/कोट/आर.ए./धारा-128/2025/11 दिनांक 12.01.2025 से दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब कि गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भूअ./2025/2839 दिनांक 31.10.2025 रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशाल है।

3. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 12.06.2023 व तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2075 खाता संख्या 156 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर की नकल पेश की।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ  
जिला-अलवर

4. चहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावटी सम्वत् 2069 से 2075 खाता संख्या 156 वाके ग्राम तालाय तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 12.06.2023 व तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार टहला के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 12.06.2026 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 दिव्य प्रकार है :-

**Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1)** In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

**Sec. 128. Boundary disputes:-** All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 156 खसरा संख्या 2015/0.32 वाके ग्राम तालाय तहसील टहला जिला अलवर जिला अलवर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को आदेश जारी किये जाते हैं कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावे। तहसीलदार टहला को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मोन्मा आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ  
जिला अलवर